अपील सूचना अधिकार संख्या 39/2019 (RCMS 2019/00119) श्री पंकज कुमार छिम्पा पुत्र श्री प्रेम कुमार, अध्यक्ष श्री गऊशाला समिति (रजि.) निवासी वार्ड न. 06, 4 आरटीपी, वीपीओ रतनपुरा तहसील संगरिया (मोबाईल नं 96807–42447) बनाम संयुक्त निदेशक, कार्यालय पशुपालन विभाग, श्रीगंगानगर

17.07.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री पंकज कुमार स्वयं उपस्थित हुए। बहस सुनी गई थी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी ने प्रार्थना की है कि उसने संयुक्त निदेशक, कार्यालय पशुपालन विभाग, श्रीगंगानगर से सूचना हेतु एक प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 15.03.2019 को प्रस्तुत करके 03 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जो संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, श्रीगंगानगर द्वारा उसे अधूरी सूचना उपलब्ध करवाई गई है। इसलिए उसे संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, श्रीगंगानगर से वांछित बिन्दुवार सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री पंकज कुमार छिम्पा ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 15.03.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत कर संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. हनुमानगढ़ में जिले संगरिया तहसील में रतनपुरा ग्राम में गउशाला के नाम जमीन है जो कि जमाबंदी में श्री गऊशाला रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसकी कॉपी सांथ में संलग्न है। श्रीमान् से निवेदन कि गंगानगर की कौनसी गऊशाला के अधीन है और इसके सम्बन्ध में इस जमीन से सम्बन्धित मूल दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।
2. श्री गऊशाला का रजिस्ट्रेशन गंगानगर के अधीन है। उसके रजिस्ट्रेशन की फोटो प्रतिलिपि उपलब्ध करवावें। जिससे साफ हो सके कि ये जमीन रतनपुरा 4 आर.टी.पी. अधीन है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

> 3. श्रीमान् गंगनगर में कुल कितनी गऊशाला है, उनकी सूची उपलब्ध करवायें।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, पशु पालन विभाग, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 3315 दिनांक 16.04.2019 से सहायता शाखा, कलक्ट्रेट को प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निम्नानुसर जवाब दिया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका ई मेल संदेश दिनांक 15.04.2019 के क्रम में निवेदन है कि श्री पंकज कुमार, अध्यक्ष श्री गौशाला समिति रतनपुरा द्वारा चाही गई सूचना निम्न प्रकार है :
>
> 1. इस कार्यालय से सबंधित नहीं हैं
> 2. रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति संलग्न हैं।
> 3. जिले की गौशालाओं की सूची संलग्न है।
>
> **संलग्न–2**
>
> -sd-
> लोक सूचना अधिकारी एवं
> संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग
> श्रीगंगानगर

दिनांक 01.07.2019 को अपीलार्थी पंकज कुमार पुत्र प्रेम कुमार ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उसे बिन्दु संख्या 2 व 3 की सूचना प्राप्त हो चुकी है इसलिए उसे बिन्दु संख्या 1 की सूचना उपलब्ध करवाये जाने के आदेश प्रदान करें।

उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रभारी अधिकारी, सहायता शाखा कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक सहायक/2019/2977 दिनांक 12.07.2019 के साथ संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, हनुमानगढ का पत्रांक 5496 दिनांक 12.07.2019 की प्रति संलग्न कि है जिसके अनुसार संयुक्त निदेशक, हनुमानगढ ने बिन्दु संख्या 1 का जवाब निम्नानुसार दिया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उपरोक्त संबंध में बिन्दुवार सूचना निम्नानुसार प्रेषित है :
इस सम्बन्ध में निवेदन है कि 4 आर.टी.पी., रतनपुरा गौशाला के संबंध में इस कार्यालय में किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड (रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जमीन संबंधी रिकॉर्ड आदि) संधारित नहीं है और न ही इस गौशाला को इस कार्यालय द्वारा गौशाला कोड आवंटित किया गया है। इसके अलावा इस कार्यालय द्वारा उक्त गौशाला को आज दिनांक तक किसी प्रकार की आर्थिक सहायता राशि का भुगतान भी नही किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, गंगानगर/हनुमानगढ ने बिन्दु संख्या 1 से 3 के सम्बन्ध में जो सूचना दी गई है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। **इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी– सहायता शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर एवं संयुक्त निदेशक, पशुपालना विभाग, श्रीगंगानगर/हनुमानगढ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर